(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 26 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 124

बउनवान

1. माधोलाल आयु 75 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति धाकड निवासी रतनपुरा तह. छीपाबडौद जिला बारॉ
2. रामदयाल आयु 45 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति धाकड निवासी रतनपुरा तह. छीपाबडौद जिला बारॉ
3. नवल आयु 40 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति धाकड निवासी रतनपुरा तह. छीपाबडौद जिला बारॉ
4. हंसराज आयु 35 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति धाकड निवासी रतनपुरा तह. छीपाबडौद जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारॉ
2. घनश्याम पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी रतनपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 08 / 2022 अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 28.06.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :– 1– श्री आर.पी. गोयल अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 1)
3– श्री हेमराज बैरवा अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 2)

निर्णय दिनांक 20.12.2024

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 08 / 2022 अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान घनश्याम बैरवा बनाम माधोलाल धाकड वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 28.06.2024 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 01.08.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया ओर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि रेस्पो. क्रम 2 घनश्याम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट विरूद्ध अपीलान्ट्स न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद मे प्रस्तुत किया जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये और [illegible] दिनांक 28.06.2024 को प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर खारिज कर दिया। उक्त आदेश से अपीलान्ट्स बाखूबी सहमत है, लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के अन्त मे निम्न बिन्दु और लिख दिये गये है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:32:27 IST
Reason: SelfAttested

''साथ हीं काश्तकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अवैध अंतरण के विरूद्ध कार्यवाही के लिये पटवारी हलका एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को लिखा जावे।''

निर्णय के उक्त बिंदु से असहमत होकर यह अपील अन्य के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

1. निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय कानूनी व प्राकृतिक न्याय व सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।
2. धारा 183 (बी) की एनोलॉजी में पटवारी भू–अभिलेख निरीक्षक को अवैध अंतरण के खिलाफ कार्यवाही के लिये लिखा जावे, ऐसी विधि में कोई व्यवस्था नहीं है।
3. रेस्पो. क्रम 02 व अपीलांट ने भी प्रार्थनापत्र 183 (बी) आर.टी.एक्ट में इस बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा है।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का उक्त बिंदु पर पारित आदेश मनमाना है।
5. अपील में वर्णित उक्त आदेश से अपीलांट के अधिकार प्रभावित होने की पूरी संभावना है।
6. तहसीलदार, छीपाबड़ौद के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट क्रम 02 द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। इन्होंने बेचान किया या नहीं किया, इस संबंध में कोर्ट में दस्तावेज पेश नहीं किये।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय में निम्न तथ्यों ''साथ हीं काश्तकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अवैध अंतरण के विरूद्ध कार्यवाही के लिये पटवारी हलका एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को लिखा जावे।'' को हटाया जावे।

रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि मेरे द्वारा प्रार्थनापत्र 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद में प्रस्तुत किया गया जो उनके द्वारा दिनांक 28.06.2024 को अस्वीकार किया गया। अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है, जबकि मेरे द्वारा मेरे हिस्से की भूमि का बेचान नहीं किया गया है। अतः मुझे मेरी भूमि पर कब्जा संभलाया जावे। जिनके द्वारा अवैध तरीके से बेचान किया गया है, उनके विरूद्ध 175 की कार्यवाही होनी चाहिये। केवल सहखातेदार होने के कारण मेरे हिस्से की भूमि पर भी 175 की कार्यवाही की जा रही है जिसे रोका जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 08/2022 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान घनश्याम बैरवा बनाम माधोलाल धाकड वगैराह मे दिनांक 28.06.2024 को निर्णय पारित किया गया है, निर्णय के अंत में काश्तकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अवैध अंतरण के विरूद्ध कार्यवाही के लिये पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को लिखे जाने हेतु निर्देश देना विधि विरूद्ध होना नहीं पाया जाता है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 02 द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील भी प्रस्तुत नही की गई है और न हीं अपने पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय में यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक **20.12.2024** [illegible] सरे इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:52:27 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ